वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 08.02.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, भारत एकता टाइम्स, ज्ञानशिखा टाइम्स, हिन्दुस्तान, न्यायाधीश, तरुणमित्र न्यूज़,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 08.02.2025

जवाहर मार्केट के लिए आए 47 आवेदन पत्र

वाराणसी। जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक केंद्र इंग्लिशिया लाइन में शुक्रवार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक आवंटियों और किराएदारों को मौका देने के लिए कैंप लगाया गया। आवंटियों और प्रतिनिधियों की ओर से 47 आवेदन पत्र दिए गए। 11 नामांतरण, 23 रजिस्ट्री, 12 मरम्मत, एक बंद पड़ी दुकान के आवंटन से जुड़े पत्र आए। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर आवेदनकर्ताओं को सलाह दी गई। नामांतरण के लिए ऑनलाइन जनहित पोर्टल पर आवेदन की सलाह दी गई। रजिस्ट्री के आवेदन पत्रों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 08.02.2025

5 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई, 2 अवैध निर्माण सील

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने शुक्रवार को 5 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त करा दी। साथ ही दो अवैध निर्माण सील कर दिए।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि रामनगर वार्ड के बखरा निवासी सतीश सिंह और कार्तिक सिंह बिना ले आउट पास कराए ही अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे। इसे प्रवर्तन टीम और पुलिस की मदद से ध्वस्त करा दिया गया। जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कराया है। दूसरी तरफ, जोनल अधिकारी श्रीप्रकाश ने बताया कि आदमपुर वार्ड के गायघाट अयोध्या कोठी में अजय जायसवाल बगैर नक्शा पास कराए ही तीन मंजिला भवन का अवैध निर्माण करा रहे थे। निर्माण कार्य बंद कराया गया। इसी तरह सारनाथ वार्ड के पुलकोहना पुराना पुल पंचक्रोशी रोड पर बदरूद्दीन बगैर नक्शा पास कराए ही अवैध निर्माण करा रहे थे, जिसे सील कर दिया गया। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 08.02.2025

जवाहर मार्केट में लगा कैंप 47 आवेदन आए

वाराणसी : जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक केन्द्र, इंगलिशिया लाईन शुक्रवार को आवंटियों एवं किरायेदारों के लिए एक कैम्प आयोजित किया गया। इस में कुल 47 आवेदन पत्र आए। इसमें 11 आवेदन पत्र नामान्तरण, 23 रजिस्ट्री कराए जाने और 12 दुकान मरम्मत तथा बंद पड़ी दुकान के आवंटन संबंधी थे। संबंधित प्रक्रिया के अनुसार नामान्तरण हेतु आनलाइन जनहित पोर्टल पर आवेदन करने की सलाह दी गई, तथा रजिस्ट्री के आवेदन पत्रों की जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। कैंप में प्रभारी अधिकारी संपति आनंद प्रकाश तिवारी, सहायक संपति अधिकारी रमेश चन्द्र दूबे, वरिष्ठ लिपिक शंकर नारायण उपाध्याय, कनिष्ठ लिपिक अजय श्रीवास्तव, प्रणव श्रीवास्तव एवं एनबीसीसी के जनरल मैनेजर सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। (जासं)

भारत एकता टाइम्स–दि0 08.02.2025

वीडीए ने पांच बीघा अवैध प्लाटिंग पर चलवाया बुलडोजर

कार्रवाई

✡ कॉलोनाइजरों को अफसरों ने दी चेतावनी

भारत एकता टाइम्स/वाराणसी

रामनगर वार्ड के बखरा मौजा में पांच बीघा में बिना नक्शा, ले-आउट स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इसकी शिकायत मिलने पर शुक्रवार को पहुंचे वीडीए प्रवर्तन दल ने बुलडोजर से अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया। कार्रवाई के जरिये अवैध रूप से प्लाटिंग कर रहे कॉलोनाइजरों को सख्त चेतावनी दी। रामनगर के बखरा मौजा में सतीश सिंह और कार्तिक सिंह की ओर से लगभग पांच बीघा एरिया में बिना नक्शा, ले-आउट स्वीकृत कराए अवैध रूप से प्लाटिंग कराई जा रही थी। इसकी शिकायत के बाद विकास प्राधिकरण प्रशासन हरकत में आया। जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जयप्रकाश और अवर अभियंता अशोक यादव के नेतृत्व में प्रवर्तन दल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने बुलडोजर से अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया। प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि केवल स्वीकृत ले-आउट वाले प्लॉट ही खरीदें। बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। अवैध निर्माण या प्लाटिंग करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को जोन-2, वार्ड-आदमपुर और सारनाथ में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रवर्तन टीम ने बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे दो निर्माण कार्यों को सील कर संबंधित थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया। पुलिस इसकी निगरानी करेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 08.02.2025

वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड- रामनगर, मौजा- बखरा के अन्तर्गत सतीश सिंह एवं कार्तिक सिंह द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराए लगभग 05 बीघा में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिसे आज दिनांक 07.02.2025 को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी द्यमौके पर जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जय प्रकाश, अवर अभियंता अशोक यादव प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन 11 को

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व एवं रखरखाव का संवर्धन) अधिनियम, 2010 के तहत *रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (ऋ्ब्) के गठन, क्रियान्वयन, कर्तव्यों एवं अधिकारों से संबंधित जानकारी हेतु कार्यशाला आयोजित की जा रही है। यह कार्यशाला दिनांक 11 फरवरी, 2025 को प्रात: 11ः00 बजे प्राधिकरण सभागार में होगी। सेवानिवृत्त निदेशक सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड ट्रेनिंग, यूपी द्वारा इस विषय पर जानकारी दी जाएगी।उक्त बैठक/कार्यशाला विशेष रूप से विकासकर्ता / प्रमोटर्स एवं आर्किटेक्ट / इंजीनियर के लिए आयोजित की जा रही है।अत: एसोसिएशन सदस्य से अनुरोध है कि वे समय पर इस बैठक / कार्यशाला में सम्मिलित हों।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 08.02.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा कैंप का आयोजन

वाराणसी। उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक केन्द्र, इंगलिशिया लाईन, वाराणसी में पूर्वान्ह 10ः00 बजे से अपरान्ह 02ः00 बजे तक आवंटियों एवं किरायेदारों के लिए एक कैम्प आयोजित किया गया। इस कैम्प में प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति आनन्द प्रकाश तिवारी, सहायक सम्पत्ति अधिकारी रमेश चन्द्र दूबे, वरिष्ठ लिपिक शंकर नारायण उपाध्याय, कनिष्ठ लिपिक अजय श्रीवास्तव, प्रणव श्रीवास्तव एवं एन.बी.सी.सी. के जनरल मैनेजर सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।कैम्प में आवंटियों एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा कुल 47 आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गए, जिनमें से 11 आवेदन पत्र नामान्तरण, 23 रजिस्ट्री कराए जाने और 12 दुकान मरम्मत तथा बंद पड़ी दुकान के आवंटन संबंधी थे। संबंधित प्रक्रिया के अनुसार नामान्तरण हेतु ऑनलाइन जनहित पोर्टल पर आवेदन करने की सलाह दी गई, तथा रजिस्ट्री के आवेदन पत्रों की जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी इस कैम्प में लगभग 147 व्यक्तियों ने भाग लिया और उनकी समस्याओं का समाधान किया गया।

हिन्दुस्तान–दि0 08.02.2025

गायघाट, पुलकोहना में अवैध निर्माण सील

वाराणसी। वीडीए ने शुक्रवार को दो अवैध निर्माण सील किए। गायघाट में लगभग 172 वर्ग मीटर में तीन मंजिला भवन का निर्माण बिना स्वीकृति के किया जा रहा था। जिसे वीडीए ने सील किया। पुलकोहना में 70 वर्ग मीटर में ग्राउंड फ्लोर पर बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य के सीलिंग की कार्यवाही की गई। इस दौरान जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, जेई वर्तिका दुबे रहीं।

गौतम विहार में भी कार्रवाई: वीडीए प्रशासन ने शुक्रवार को सिकरौल वार्ड में मीरापुर बसहीं स्थित गौतम विहार कॉलोनी में अवैध निर्माण सील किया। कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, जेई प्रिया अग्रहरि आदि रहीं।

पांच बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की

वाराणसी। वीडीए ने शुक्रवार को रामनगर वार्ड के बखरा क्षेत्र में पांच बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। दो डेवलपरों द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए प्लॉटिंग कराई जा रही थी। उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के अंतर्गत जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, जेई अशोक यादव ने यह कार्यवाही की।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 08.02.2025

रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनके गठन, क्रियान्वयन, कर्तव्यों एवं अधिकारों के बाबत कार्यशाला आयोजित

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व एवं रखरखाव का संवर्धन) अधिनियम, 2010 के तहत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के गठन, क्रियान्वयन, कर्तव्यों एवं अधिकारों से संबंधित जानकारी के लिए कार्यशाला आयोजित की जा रही है। यह कार्यशाला 11 फरवरी को प्रात: 11:00 बजे प्राधिकरण सभागार में होगी।सेवानिवृत्त निदेशक सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड ट्रेनिंग, यूपी द्वारा इस विषय पर जानकारी दी जाएगी। उक्त बैठक/कार्यशाला विशेष रूप से विकासकर्ता / प्रमोटर्स एवं आर्किटेक्ट / इंजीनियर के लिए आयोजित की जा रही है। अत: एसोसिएशन सदस्य से अनुरोध है कि वे समय पर इस बैठक / कार्यशाला में सम्मिलित हों।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 08.02.2025

वीडीए के कैम्प में 47 आवेदन पत्र दिए गए, हुआ समस्या का समाधान

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक केन्द्र, इंगलिशिया लाईन में एक कैम्प का आयोजन शुक्रवार पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक आवंटियों एवं किरायेदारों के लिए किया गया। कैम्प में आवंटियों एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा कुल 47 आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गए, जिनमें से 11 आवेदन पत्र नामान्तरण, 23 रजिस्ट्री कराए जाने और 12 दुकान मरम्मत तथा बंद पड़ी दुकान के आवंटन संबंधी थे।

संबंधित प्रक्रिया के अनुसार नामान्तरण हेतु ऑनलाइन जनहित पोर्टल पर आवेदन करने की सलाह दी गई, तथा रजिस्ट्री के आवेदन पत्रों की जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। कैम्प में लगभग 147 व्यक्तियों ने भाग लिया और उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। इस कैम्प में प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति आनन्द प्रकाश तिवारी, सहायक सम्पत्ति अधिकारी रमेश चन्द्र दूबे, वरिष्ठ लिपिक शंकर नारायण उपाध्याय, कनिष्ठ लिपिक अजय श्रीवास्तव, प्रणव श्रीवास्तव एवं एन.बी.सी.सी. के जनरल मैनेजर सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

वीडीए के कैंप में किराएदारों एवं आवंटियों की समस्याओं का किया गया समाधान

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 08.02.2025

अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गई

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2, वार्ड- आदमपुर एवं सारनाथ के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी और सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश ,अवर अभियंता वर्तिका दूबे प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। सील बंद कराये गये निर्माणी का विवरण निमन्वत है:. जोन-2 में श्री अजय जायसवाल, द्वारा भवन सख्या-ए0 1/37, मोहल्ला-गायघाट, अयोध्या कोठी वार्ड-आदमपुर, में लगभग 172 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में (जी+3) तलो का निर्माण कार्य बिना स्वीकृति मानचित्र पास कराये निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया। जोन-2 में श्री बदरूदीन, द्वारा पता-पुलकोहना पुराना पुल, पंचकोशीरोड वार्ड-सारनाथ, मे लगभग 70 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल मे भूतल पर निर्माण कार्य बिना स्वीकृति मानचित्र पास कराये निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया।(उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करे अन्यथा की स्थिति मे प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वीडीए जोन - 1 की प्रवर्तन टीम ने की अवैध निर्माण की सीलबन्दी

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-सिकरौल के अन्तर्गत अतुल कुमार द्वारा गौतम विहार कॉलोनी मीरापुर बसही वार्ड-सिकरौल, जिला-वाराणसी में लगभग 25x50 वर्गफीट के क्षेत्रफल में भूतल के ऊपर आरसीसी कॉलम व शटरिंग का निर्माण कार्य किए जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (ग) व 28 (ग) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही दिनांक 16.10.2024 को की गयी थी, निर्माणकर्ता द्वारा लगातार निर्माण कार्य किए जाने पर आज दिनांक 07.02.2025 को सील कर शिवपुर थाना अंतर्गत की सतत निगरानी हेतु सौंप दिया गया। जोनल अधिकारी श्री शिवाजी मिश्रा अभियंता प्रिया अग्रहरी मौजूद रहे।